CNR No.UPVR010075412026

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।

उपस्थितः– नितिन पाण्डेय (एच 0 जे0 एस 0)

(जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0–1585)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–2681/2026

राहुल राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासी ग्राम–पिसौर, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम्

उ 0 प्र 0 सरकार

.....अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या–301/2026
धारा–74, 115(2), 352 बी0 एन 0 एस 0
व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट।
थाना शिवपुर, जिला वाराणसी।

दिनांक 14–08–2026

1. थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी के मु0 अ 0 सं0–301/2026, धारा–74, 115(2), 352 बी0 एन 0 एस 0 व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त राहुल राजभर की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. दौरान सुनवाई जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त की ओर से एक अन्य शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में प्रेषित शपथपत्र के पैरा 03 में प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र की जगह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र टाईप हो गया था, जो एक लिपिकीय त्रुटि है, द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के स्थान पर प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पढ़ा व समझा जाये, यह भी कहा गया कि शपथकर्ता का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है।

3. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में अभियोजन कथानक को अंकित करते हुये सारतः कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पता उपरोक्त का स्थायी निवासी है तथा मेहनत मजदूरी का कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उपरोक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त व प्रार्थी/अभियुक्त के पिता व उसके भाई के खिलाफ दर्ज हुआ है, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन फंसाया गया है, वास्तविकता यह है कि उपरोक्त वादिनी मुकदमा व प्रार्थी/अभियुक्त एक ही गांव के पड़ोसी व्यक्ति है तथा हम दोनो परिवार के मध्य पुरानी रंजिशन है, जो कथित घटना के पूर्व सरकारी हैण्डपम्प पर पानी लेने को लेकर विवाद हुआ था, उसी रंजिश के कारण प्रार्थी/अभियुक्त को जेरबार व परेशान करने की नियत से तथा समाज में मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने हेतु मुकदमा उपरोक्त में फंसा दिया गया है, मुकदमा उपरोक्त में वादिनी ने घटित घटना एक सार्वजनिक स्थान पर गोदभराई के रस्म के समय बताया जाता है, जहां रिश्तेदार व गांव के लगभग 50 से 100 लोग उपस्थित रहे, जहां पर छेड़छाड़ की घटना बताया जा रहा है, वह अपने आप में हास्यास्पद है, उपरोक्त कारित घटना सार्वजनिक स्थान पर बताया जाता है, बावजूद इसके मौक का स्वतन्त्र साक्षी नहीं है, प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्भ्रान्त परिवार से

Digitally signed by NITIN PANDEY
Date: 2026.08.14 18:36:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संबंध रखता है, प्रार्थी/अभियुक्त को स्थानीय थाने की पुलिस तलाश कर रही है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के घर पर दबिश दे रही है, प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, यदि प्रार्थी/अभियुक्त को स्थानीय थाने की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो प्रार्थी/अभियुक्त का मान सम्मान समाज में धूमिल हो जायेगा, प्रार्थी/अभियुक्त अपने आपको पाबन्द करता है कि बादहू अग्रिम जमानत साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा, न ही डरा धमका कर किसी साक्षी को प्रभावित करेगा और विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा, प्रार्थी/अभियुक्त वाराणसी जनपद का मूल निवासी है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का वीजा या पासपोर्ट नहीं है, बादहू जमानत पलायन की कोई संभावना नहीं है, प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किया जाना आवश्यक है, उपरोक्त करते हुये याचना की गयी कि प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदत्त की जाये।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थनापत्र के साथ सूची के माध्यम से आधार कार्ड, प्रथम सूचना रिपोर्ट व कमिश्नर महोदय, कमिश्नरेट, वाराणसी को प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित–23.06.2026 की फोटो प्रति संलग्न की गयी है।

5. वादिनी/पीड़िता को नोटिस प्रेषित की गयी, वादिनी/पीड़िता पर नोटिस का तामीला जरिये बजात खास कराया गया, किन्तु दौरान सुनवाई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र वादिनी/पीड़िता की ओर से कोई उपस्थित नहीं रहा।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

7. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में अंकित आधारों की पुनरावृत्ति करते हुए अग्रेतर कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है, उपरोक्त तर्क रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

8. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, याचना की गयी कि प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

संबंधित थाने की आख्या पत्रावलित है, जिसके साथ सी0 सी0 टी0 एन 0 एस 0 की रिपोर्ट संलग्न है, जिसके अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि इस अभियुक्त के नाम के और व्यक्ति हैं, जिनका पता अलग है, अर्थात् दूसरे शब्दों में विदित हो रहा है कि प्रश्नगत अभियुक्त पर यही मुकदमा पंजीकृत है।

9. सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. अभियोजन कथानक के अनुसार, घटना दिनांक 14.06.2026 समय लगभग रात्रि 8 बजे की है, पड़ोस के देवनाथ पुत्र स्व 0 नन्दू की पुत्री की गोद भराई थी, जहां पर वादिनी/पीड़िता अपने सहेलियों संग नाच–गाना देख रही थी कि इतने में राहुल राजभर पुत्र विनोद राजभर वादिनी/पीड़िता के पास आकर उसकी कलाई पकड़कर खींचते हुय कहा कुछ जरूरी काम है, इधर मेरे साथ आओ, वादिनी/पीड़िता कुछ बोल पाती कि तब तक वह (राहुल राजभर) वादिनी/पीड़िता को बसवार के पास अंधेरे में ले जाकर उसके सीने पर हाथ लगाने लगा, वादिनी/पीड़िता ने उसका विरोध किया तो वह जबरदस्ती वादिनी/पीड़िता के नाजुक अंगो को पकड़ने लगा, वादिनी/पीड़िता जब चिल्लाना चाही तो वादिनी/पीड़िता को लात, घूंसा से मारने लगा, वादिनी/पीड़िता उसकी मार से रोने लगी तो वह (राहुल राजभर) वादिनी/पीड़िता को मां बहन की गाली देते हुये वहां से भाग गया, वादिनी/पीड़िता अपने घर गयी और अपनी मां से सारी घटना बताते हुये राहुल के घर गये तो उसके घर पर कोई भी

नहीं था, तब वादिनी/पीड़िता के माता–पिता फिर सुबह होने पर उसके घर जाकर उसके माता–पिता से शिकायत किया तो उसके पिता विनोद राजभर एवं भाई शनि राजभर सभी मिलकर हम लोगों को मारने हेतु लाठी–डण्डा निकाल लिये और मां बहन की गंदी–गंदी गाली देने लगे, वादिनी/पीड़िता के पिता ने तत्काल 112 नम्बर पर फोन करके पुलिस कन्ट्रोल रूम सूचना दिया, तो मौके पर पुलिस द्वारा हम लोगो को तत्काल थाने पर जाकर प्रार्थनापत्र देने के लिये कहा, हम लोग दिनांक–15.06.2026 को थाना शिवपुर जाकर उन लोगो के खिलाफ लिखित प्रार्थनापत्र दिया और तब से थाने का कई चक्कर लगा चुके है परन्तु उन लोगो के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी, विपक्षीगण वादिनी/पीड़िता के मुहल्ले के रहने वाले है, याचना की गयी कि वादिनी/पीड़िता के साथ घटित घटना को संज्ञान में लेकर राहुल राजभर एवं विनोद राजभर व शनि राजभर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुये कानूनी कार्यवाही की जाये।

11. उक्त लिखित सूचना के आधार पर थाना शिवपुर, उपरोक्त में मुकदमा अपराध संख्या 301/2026, अन्तर्गत धारा 74, 115(2), 352 बी0एन0एस0 व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट अभियुक्तगण **राहुल राजभर, विनोद राजभर** व **शनि राजभर** के विरूद्ध कायम किया गया, वादिनी मुकदमा/पीड़िता व अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये गये, प्रश्नगत अभियुक्त राहुल राजभर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 74, 115(2), 352 बी0एन0एस0 व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत विवेचना अभी प्रचलित है।

12. केस डायरी के पर्चा संख्या 8 में पीड़िता के कक्षा–8 के शैक्षणिक प्रमाणपत्र (टी0 सी0 व प्रमाणपत्र) से संबंधित विवरण अंकित है, जिनके अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 07.08.2007 अंकित है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक–14.06.2026 की है, जिससे प्रथम दृष्टया यह विदित हो रहा है कि घटना, दिनांकित–14.06.2026 को पीड़िता की उम्र 18 वर्ष 10 माह 07 दिन थी, विदित हो कि विवेचक द्वारा पर्चा सं०–8 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एऩ.एस.एस. में पीड़िता द्वारा, अपराध का समय लगभग एक वर्ष पूर्व का बताया जा रहा है, जब पीड़िता नाबालिग रही होगी, ऐसी दशा में विवेचना पॉक्सो एक्ट में सम्पादित किये जाने का उल्लेख है।

13. केस डायरी के अवलोकनार्थ यह विदित हो रहा है कि अपने **बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एऩ.एस.एस.** में पीड़िता द्वारा अन्य कथनों के अतिरिक्त, दोस्त की गोदभराई में जाना, वहाँ राहुल राजभर का आ जाना, डान्स करते समय राहुल राजभर द्वारा थप्पड़ मारना, डान्स करने को मना करना, दोबारा थप्पड़ मार देना, ***गलत नियत से अश्लील हरकत या छेड़खानी नहीं करना, बस डान्स करने के लिए थप्पड़ मारना,*** जैसे कथन किये गये हैं, अपने **बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एऩ.एस.एस.** में पीड़िता द्वारा, दिनांक 14–06–2026 को डान्स करते समय अभियुक्त द्वारा दो–तीन तमाचा मारना, नाचने के लिए मना करना, वहाँ से भाग जाना, करीब साल भर से परेशान करना, रास्ते में पीछा करना, धमकी देना, बहुत पहले आकर हाथ पकड़ लेना, जैसे कथन किये गये हैं, कहना आवश्यक है कि पीडिता के उपरोक्त दोनों बयानों में छेड़खानी की घटना को लेकर अन्तर्विरोध परिलक्षित हो रहा है, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध विधि व्यवस्था **सतेन्द्र अन्तिल बनाम सी०बी०आई०** में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त को आकर्षित करता है, मामले के उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं गुण–दोष पर बिना कोई मत प्रकट करते हुए, अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने के आधार पर्याप्त हैं, तद्नुसार उसका अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **राहुल राजभर** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, मुकदमा अपराध संख्या–301/2026, धारा–74, 115(2), 352 बी0एन0एस0 व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना

शिवपुर, जिला वाराणसी के प्रकरण में **स्वीकार** किया जाता है एवं उन्हें प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत प्रदत्त की जाती हैः–

1– आवेदक/अभियुक्त स्वयं विवेचक के समक्ष अग्रिम पांच दिवस के अंदर उपस्थित होगा एवं अपना बयान दर्ज करवायेगा। विवेचक को पूछताछ हेतु जब–जब आवश्यकता पड़ेगी, तब–तब आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष उपस्थित होगा।

2– आवेदक/अभियुक्त उक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिये प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति व आदेश के भारत नहीं छोड़ेगा।

4– आवेदक/अभियुक्त ऐसा अपराध, जिसे करने का उन पर अभियोग या संदेह है, वैसा कोई अपराध नहीं करेगा।

5– यदि आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लघंन किया जाता है तो विवेचक के प्रार्थनापत्र पर विद्वान विचारण न्यायालय उचित आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

विवेचक को आदेशित किया जाता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को उपरोक्त अपराध में यदि गिरफ्तार किया जाता है, तो उनके द्वारा मुबलिग पच्चीस हजार रूपये की एक जमानत व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर, अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये, यदि इस आदेश के अनुपालन में अभियुक्त विवेचक के समक्ष अन्दर पाँच दिवस उपस्थित नहीं होता है, तो इसकी सूचना विवेचक तत्काल इस न्यायालय को देना सुनिश्चित करेंगे।

(नितिन पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 1585

मासूम श्रीवास्तव (आशुलिपिक)